कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
क.रा.बी.नि.
ESIC
सत्यमेव जयते
मुख्यालय/Headquarters
पंचदीप भवन, सी.आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, CIG Marg, N. Delhi-110002
वेबसाइट:www.esic.nic.in / www.esic.in
ईमेल: rajbhasha-hq@esic.nic.in

फ़ाइल सं. I-17012/1/2022-आईसीटी **दिनांक: __03-2026**

सेवा में,

1. आंचलिक बीमा आयुक्त/ आंचलिक चिकित्सा आयुक्त
2. क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक(प्रभारी)/संयुक्त निदेशक(प्रभारी), सभी क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय।
3. अधिष्ठाता, सभी क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल
4. चिकित्सा अधिक्षक, सभी क.रा.बी.निगम अस्पताल
5. निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली/ निदेशालय (चिकित्सा) नोएडा/ निदेशक-राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी।

विषय: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अंतर्गत व्यक्तिगत डेटा के जिम्मेदार प्रबंधन के संबंध में सलाह।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी अधिनियम) डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए एक सांविधिक ढांचा प्रदान करता है और संगठनों के लिए ऐसे डेटा की सुरक्षा हेतु उपयुक्त सुरक्षा उपायों को अपनाना अनिवार्य करता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत हितलाभ प्रदान करने वाला सांविधिक निकाय है और बीमाकृत व्यक्तियों, लाभार्थियों, नियोक्ताओं, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के व्यक्तिगत और स्वास्थ्य-संबंधी डेटा का प्रसंस्करण करता है।

2. व्यक्तिगत डेटा के जिम्मेदार प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के अधीन प्रारंभिक संरेखण उपायों के भाग के रूप में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को एतदद्वारा कार्यालयी कर्तव्यों के दौरान व्यक्तिगत डेटा से संबंधित कार्य के समय निम्नलिखित अनुदेशों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी जाती है:

I. **अधिकारी/कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि :**

क) व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच केवल जानने की आवश्यकता के आधार पर और केवल कार्यालयी उद्देश्यों के लिए की जाती है।

ख) व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण और संप्रेषण के लिए आधिकारिक ईमेल आईडी और कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिकृत सिस्टम/एप्लिकेशन का उपयोग किया जाता है।

ग) कठिन पासवर्ड अनुरक्षित किए जाते हैं और जब सिस्टम उपयोग में न हो उन्हें बंद रखा जाता है।

घ) व्यक्तिगत डेटा वाले किसी भी ईमेल या दस्तावेज़ को प्रेषण से पूर्व प्राप्तकर्ता का सत्यापन सुनिश्चित किया जाए।

ङ) व्यक्तिगत डेटा तक अनधिकृत पहुंच, प्रकटीकरण, हानि या उल्लंघन की किसी भी संदिग्ध या वास्तविक घटना की सूचना उचित माध्यम द्वारा तत्काल, सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी प्रभाग को दी जाए।

II. **अधिकारी/कर्मचारी द्वारा न किए जाने वाले कार्य** :

क) आधिकारिक कार्य के लिए विशेष रूप से अधिकृत तथा अपेक्षित होने के अतिरिक्त, बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत डेटा को डाउनलोड, उद्धरण सार करना या परिचालित करना।

ख) व्यक्तिगत लैपटॉप, पेन ड्राइव, बाहरी स्टोरेज डिवाइस या व्यक्तिगत क्लाउड प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत डेटा संग्रह करना।

ग) व्यक्तिगत ईमेल खातों या अनौपचारिक संदेश प्लेटफॉर्मों (जैसे, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, आदि) के माध्यम से व्यक्तिगत डेटा साझा करना।

घ) आधिकारिक आवश्यकता या सांविधिक आवश्यकता से अधिक समय तक व्यक्तिगत डेटा को अपने पास रखना।

3. इस परिपत्र के प्रयोजन के लिए, "व्यक्तिगत डेटा" में किसी पहचान योग्य व्यक्ति से संबंधित कोई भी जानकारी शामिल है, जैसे नाम, बीमाकृत व्यक्ति संख्या, आधार संख्या, संपर्क विवरण, चिकित्सा अभिलेख, अंशदान विवरण, वेतन की जानकारी, बैंक विवरण या ऐसी कोई अन्य जानकारी।

4. सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, उप-क्षेत्रीय कार्यालयों, अस्पतालों, शाखा कार्यालयों तथा मुख्यालय के सभी प्रभागों को अनुरोध है कि इस परिपत्र की सामग्री को कड़े अनुपलान हेतु अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के संज्ञान में लाया जाए।

5. ये अनुदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किए गए हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
Mohit Kumar
Date: 10-03-2026
12:43:45

मोहित कुमार
उप निदेशक
(सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी विभाग)

प्रतिलिपि : 1. कर्मचारी राज्य बीमा निगम मुख्यालय के सभी प्रभागीय प्रमुख

2. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इसे मुख्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
क.रा.बी.नि. E.S.I.C.

मुख्यालय
Headquarters'
पंचदीप भवन सी॰आई॰जी रोड , नई दिल्ली-110002
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110 002
Phone: 011-23604700 Email : dir-gen@esic.nic.in
Website : www.esic.nic.in / www.esic.in

File No. I-17012/1/2022-ICT Date: 05-03-2026

To,

1. Zonal Insurance Commissione(s)/ Zonal Medical Commissioner(s)
2. Regional Directors/Directors(I/c)/Jt. Directors(I/c) of all ROs/SROs
3. Dean, all ESIC Medical Colleges and Hospitals
4. Medical Superintendents of all ESIC Hospitals
5. D(M) Delhi/ D(M) Noida / Director NTA

Subject: Advisory regarding responsible handling of personal data under the Digital Personal Data Protection Act, 2023 – Reg.

The Digital Personal Data Protection Act, 2023 (DPDP Act) provides a statutory framework for processing of digital personal data and mandates organisations to adopt appropriate safeguards for protection of such data. ESIC, being a statutory body administering benefits under the ESI Act, processes personal and health-related data of Insured Persons, beneficiaries, employers, employees and pensioners.

2. In order to ensure responsible handling of personal data and as part of initial alignment measures under the DPDP Act, all officers and officials of ESIC are hereby advised to strictly adhere to the following instructions while dealing with personal data in the course of official duties.

I. Officers/Officials shall ensure that:

(a) Personal data is accessed strictly on a need-to-know basis and only for official purposes.
(b) Official email IDs and authorised ESIC systems/applications are used for processing and communication of personal data.
(c) Strong passwords are maintained and systems are locked when unattended.
(d) Due care is taken to verify the recipient before transmitting any email or document containing personal data.
(e) Any suspected or actual incident of unauthorised access, disclosure, loss or breach of personal data is immediately reported to ICT Division through proper channel.

II. Officers/Officials shall not:

(a) Download, extract or circulate bulk personal data unless specifically authorised and required for official work.
(b) Store personal data on personal laptops, pen drives, external storage devices or personal cloud platforms.
(c) Share personal data through personal email accounts or unofficial

messaging platforms (e.g., WhatsApp, Telegram, etc.).

(d) Retain personal data beyond official requirement or statutory necessity.

3. For the purpose of this Circular, “personal data” includes any information relating to an identifiable individual such as name, IP number, Aadhaar number, contact details, medical records, contribution details, salary information, bank details or any other similar information.

4. All Regional Offices, Sub-Regional Offices, Hospitals, Branch Offices and Divisions at Headquarters are requested to bring the contents of this Circular to the notice of all officers and staff under their control for strict compliance.

5. These instructions are issued with the approval of the Competent Authority.

Yours faithfully,

Digitally signed by
Mohit Kumar
Date: 05-03-2026
14:38:52

(Mohit Kumar)

Deputy Director (ICT)

Copy to: - 1. All Divisional Heads of ESIC Hqrs

2. Website content manager with the request to upload this on Hqrs website.